उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– XXVII(9)/2013/स्टाम्प–48/2008
देहरादून :: दिनांकः 23 जुलाई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं0 759/XXVII(9)/2011/स्टाम्प–48/2008 दिनांक 12.12.2011 को अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 23 खण्ड (क) के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में रूपये 10 लाख (रूपये दस लाख मात्र) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत (25 प्रतिशत) की छूट दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निःशक्ता से क्रमशः 1. अन्धता 2. कम दृष्टि 3. कुष्ठरोगमुक्त 4. श्रवण शक्ति का ह्रास 5. चल निःशक्तता 6. मानसिक मंदत्ता 7. मानसिक रूग्णता अभिप्रेत है।

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 341 (1)/XXVII(9)/2013/ स्टाम्प–48/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

368
23/07/13

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या– **XXVII**(9)/2013/स्टाम्प–53/2009

देहरादून :: दिनांकः 26 जुलाई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 719/27–9–2008/स्टाम्प–53/2009 दिनांक 06.10.2009 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत तक कमी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परन्तु, यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरूष या उससे अधिक पुरूषों के पक्ष में संयुक्त रूप में निष्पादित अन्तरण विलेख की दशा में स्त्री/स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक स्टाम्प शुल्क में उक्तानुसार कमी कर दी जाएगी, किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकार्य न की गयी हो।

ह0/-

(राकेश शर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या–342 (1)/**XXVII(9)**/2013/ स्टाम्प–53/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)

संयुक्त सचिव।

C:\Users\...\Desktop\Indra\2013\Rules Draft.doc

SA I

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–42XXVII(9)/2014/स्टाम्प–03/2014
देहरादून :: दिनांकः 26 फरवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 सपठित (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से राज्य के सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों को पच्चीस लाख तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक कमी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परन्तु, यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों /कार्मिकों के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक पुरूष या उससे अधिक पुरूषों के पक्ष में संयुक्त रूप में निष्पादित अन्तरण विलेख की दशा में यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक स्टाम्प शुल्क में उक्तानुसार कमी कर दी जाएगी, किन्तु यदि ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकार्य न की गयी हो।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–42 (1)/XXVII(9)/2014/ स्टाम्प–03/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या /2015/XXVII(9)/स्टाम्प–29/2012
देहरादूनः दिनांकः 27 अगस्त, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से समस्त ऐसे विलेखों जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 बी के अनुच्छेद 5 के खण्ड बी–1 के अधीन प्रभार्य है, में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा ₹ 1000/–(₹ एक हजार मात्र) नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– राज्यपाल यह भी आदेश देते है कि इस अधिसूचना द्वारा घटाया गया शुल्क उन विलेखों पर प्रभावी नही होगा, जिनमें यह तथ्य छिपाया गया हो कि हस्तान्तरण विलेख के निष्पादन से पूर्व सम्पत्ति पर कब्जा दे दिया गया है, या देने का करार किया गया है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या 207 (1)/2015/XXVII(9)/स्टाम्प–29/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की 200 प्रतियां प्रकाशित कराकर वित्त अनुभाग–9 अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– . /2015/XXVII(9)/स्टाम्प–80/2009
देहरादूनः दिनांकः 14 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन की अधिसूचना संख्या 74/XXVII(9)/स्टाम्प/2008, दिनांक 25 अप्रैल, 2008 का प्रस्तर–2 को इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से विखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या- 167 (1)/2015/XXVII(9)/स्टाम्प –80/2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मसूरी बाईपास रोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिया नं0–6 के समीप)

पत्रांक : 376/म0नि0नि0/2015–16 दिनांक : 14 सितम्बर, 2015

सेवा में,

समस्त जिला निबन्धक,/
समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/
समस्त उप निबन्धक,
उत्तराखण्ड।

महोदय,

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एम0 आर0 जोशी)
प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन
(मुख्यालय)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– /2016/XXVII(9)/यू0ओ0–20/स्टाम्प/2016
देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थापित मेगा फूड पार्क तथा इसके तहत स्थापित होने वाली इकाईयों के लिये प्रथम बार भूमि क्रय तथा लीज डीड पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 305(1)/2016/XXVII(9)/यू0ओ0–20/स्टाम्प/2016 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं रेशम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल ।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, देहरादून।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मसूरी बाईपास रोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिया नं0–6 के समीप)

पत्रांक : 606 /म0नि0नि0/2016–17 दिनांक : 24 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

समस्त जिला निबन्धक/
समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/
समस्त उप निबन्धक,
उत्तराखण्ड।

महोदय,

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सन्दीप श्रीवास्तव)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
मुख्यालय, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– /2016/XXVII(9)/यू0ओ0–04/स्टाम्प/2014
देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंकों से ₹ 5.00 लाख तक प्राप्त किये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में निष्पादित बन्धक विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 295 (1)/2016/XXVII(9)/यू0ओ0–04/स्टाम्प/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं रेशम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल ।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, देहरादून।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मसूरी बाईपास रोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून , पुलिया नं0–6 के समीप)

पत्रांक : 609 /म0नि0नि0/2016–17 दिनांक : 27 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

समस्त जिला निबन्धक/
समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/
समस्त उप निबन्धक,
उत्तराखण्ड।

महोदय,

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सन्दीप श्रीवास्तव)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
मुख्यालय, देहरादून।